न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–29–11–2016

मुकदमा नम्बर 254/2016 & GCMS NO. 2021/730

शिशपाल पुत्र श्री भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम कैमरी की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

– आवेदक

– बनाम –

1. मूलचंद पुत्र मनसुख जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. चावली देवी पत्नी मनसुख जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. महावीर पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील प्रति. :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक : 14.03.2022

प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 244, 247, 248 रकबा क्रमशः 1.04, 0.04, 1.76 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 2.84 हैक्टर अवस्थित है, जो आवेदक की विषय वस्तु है तथा उक्त आराजी को आगे प्रार्थना–पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 की अविभाजित कृषि सम्पदा है जिसमें 1/3 हिस्सा आवेदक का, 1/3 हिस्सा अनावेदक नम्बर 1 व 2 का, 1/3 हिस्सा अनावेदक नम्बर 3 का है। उक्त आराजी का कभी भी विधिवत बंटवारा नही हुआ है। उक्त आराजी को आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 अंदाजी की काश्त करते है। भूमि खसरा नम्बर 248 मे आवेदक व अनावेदकगण का शामलाती चाह मय विधुत कनेक्शन स्थित है। इसमें आवेदक के पिता के नाम से हैं इस चाह में आवेदक का 1/3 हिस्सा तथा अनावेदकगण 1 व 2 का शामिल में 1/3 हिस्सा तथा अनावेदक नम्बर 3 का 1/3 हिस्सा है जो शामलाती है तथा इसी खसरा नम्बर 247 में आवेदक के पिता के बनाये मकान गुवाड़ी है, जो आवेदक तथा अनावेदकगण की शामलाती गुवाडी मकानात है। भूमि खसरा नम्बर 247 को शामलाती रखा जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 248 में स्थित चाह के नीचे 0.0100 हैक्टर जगह रखकर बाकी बची भूमि का विभाजन उपरोक्त आवेदक व अनावेदकगण के मध्य किया जावे।

आवेदक के एक लड़का व एक लड़की ही है। आवेदक का लडका मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आवेदक अकेला वृद्ध व्यक्ति है। इस कारण आवेदक के हीन अवस्था में होने से अनावेदक नम्बर 1 व 2 के मन में आवेदक के हिस्से की आराजी को हड़पने के बेईमानी व बदनियती पैदा हो गयी है जो आवेदक के हिस्से की आराजी को हड़पने की नाजायज मंशा रखते है। आवेदक को उसके हिस्से की भूमि काश्त नही करने दे रहे है। जबरन आवेदक के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा उक्त आराजी मे बने शामलाती चाह से आवेदक को पानी नही लेने दे रहे है तथा आवेदक के हिस्से [illegible] जाने के रास्ते मे व्यवधान पैदा कर रहे है। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी का आवेदक व [illegible]म्बर 1 लगायत 3 के हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विधिवत विभाजन किया जाकर आवेदक [illegible] की भूमि का स्वतंत्र रूप से खाता कायम किया जाकर व अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व आवेदक की भूमि का [illegible] से सीमा व लगान कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:13:26 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

वादग्रस्त आराजी आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 की अविभाजित कृषि सम्पदा है। जिसके प्रत्येक ईंच–ईंच पर प्रत्येक खातेदार का हक अधिकार व हिस्सा है, को टीनेन्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने का अधिकार होता है और ना ही को–टीनेन्सी की भूमि के निश्चित भू–भाग पर कब्जा करने का व ना ही निश्चित भू–भाग का ट्रांसफर करने का अधिकार होता है, और ना ही किसी भी को–टीनेन्ट को को–टीनेन्ट की भूमि से पेड़ पौधे काटकर व अन्य किसी प्रकार से नुकसान पहुचाने व खुर्द बुर्द करने का अधिकार होता है। इसके बावजूद भी अनावेदक नम्बर 1 व 2 विधि विरूद्ध रूप से लाठी के बल पर दिनांक 22.11.2016 को आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि में कब्जा करने लग गये व लोहे के पाईप रोपने लग गये व वादग्रस्त आराजी से पेड़ पौधे काटने लग गये आवेदक ने मना किया तो आवेदक के साथ लडाई झगडा करने को आमादा हो गये तथा आवेदक को जान से मारकर उसकी भूमि हड़पने की ऐलानिया धमकी दी जिसकी शिकायत आवेदक ने पुलिस थाना नवलगढ में की। अनावेदक नम्बर 1 व 2 कानून का हाथ में लेकर आवेदक को वादग्रस्त आराजी से बदेखल कर उस पर कब्जा करने को आमादा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।

आवेदक वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है आवेदक को अपने हिस्से की टीनेन्सी की भूमि के संबंध में समस्त हक अधिकार प्राप्त है अनावेदक नम्बर 1 व 2 को को–टीनेन्सी की भूमि को नुकसान पहुचाने व को–टीनेन्सी की भूमि के निश्चित भू–भाग पर कब्जा करने का व को–टीनेन्ट के कब्जे में दखल करने का कोई अधिकार नही है। आवेदक का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है। आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उनके हिस्सेनुसार वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स बाउण्डस से विधिवत विभाजन किया जाकर आवेदक क हिस्से की आराजी का अलग से खाता कायम करने से अनावेदक नम्बर 1 व 2 को किसी भी प्रकार की असुविधा नही होगी सुविधा सतुंलन आवेदक के पक्षमें है यदि अनावेदक नम्बर 1 व 2 गलत मंशा में सफल हो जायेगे और आवेदक को को–टीनेन्सी की भूमि से बदेखल कर निश्चित भू–भाग पर पुख्ता कब्जा कर लेगे और वादग्रस्त आराजी से पेड़ पौधे काटकर विक्रय कर देगे तथा आवेदक को उसके हिस्से की भूमि काश्त नही करने देगे तो आवेदक को अनेक प्रकार के मुकदमें करने होगे जिमसें आवेदक को इतना नुकसान होगा जिसकी आर्थिक रूप से गणना की जाना संभव नही होगा। इसलिए अनावेदक नम्बर 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह आवेदक के कब्जे में कोई दखल पैदा नही करे व वादग्रस्त आराजी से पेड़ पौधे काटकर विक्रय नही करे एवं वादग्रस्त आराजी के निश्चित भू–भाग पर किसी प्रकार कच्चा व पक्का निर्माण करके कब्जा नही करे जिसके लिए उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र में अनुतोष चाहा है कि अनावेदक नम्बर 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अनावेदकगण को दौराने मूल वाद ग्राम कैमरी की ढाणी की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 244, 247, 248 रकबा 1.04, 0.04, 1.76 हैक्टर में आवेदक के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी पैदा नही करे और ना ही बिना विधिवत विभाजन के किसी भी निश्चित भू–भाग पर कच्चा व पक्का निर्माण कार्य कर कब्जा नही करे और ना ही वादग्रस्त भूमि से पेड पौधे काटकर व अन्य किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नही करे उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अपने अन्य किसी नौकर चाकर व प्रतिनिधि से करवाये। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 2 की तलबी सम्यक रूप से होने के बावजूद न्यायालय उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। हस्तगत प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही होने तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रहती है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निस्तारण होने तक कर्न्फम किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्ता[illegible] से यह स्पष्ट होता है राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2067–2070 ग्राम खोजास की सरहद में भूमि [illegible] नया 80 पुराना 68 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 244, 247, 248 रकबा 1.04, 0.0[illegible] अनावेदक नम्बर 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवाद[illegible] कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है। सहखातेदारी की वादग्रस्त अविभाजित सम्पूर्ण कृषि भूमि में संयुक्[illegible]ामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:13:26 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

जिसके हिस्सेदारो के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नही हुआ है। वादग्रस्त उक्त आराजी भूमि को मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर बमुजिब कब्जा काश्त नक्शे व खसरे में अंकित किया जाकर लगान की फाक बन्दी करके जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– ग्राम कैमरी की ढाणी की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या नया 80 पुराना 68 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 244, 247, 248 रकबा 1.04, 0.04, 1.76 हैक्टर आवेदक एव अनावेदक की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त भूमि का मोके पर कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है। खातेदारों के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नही हुआ है। अतः आवेदक विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है
2. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदार आवेदक की होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कैमरी की ढाणी की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या नया 80 पुराना 68 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 244, 247, 248 रकबा 1.04, 0.04, 1.76 हैक्टर भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 29.11.2016 को कन्फर्म की किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनु (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:13:26 IST
Reason: SelfAttested

आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से